

बिहार परिचारिका नियंत्रण परिषद्, पटना।

स्वास्थ्य विभाग,
आदेश

पत्रांक: सं०सं०-673/वी०एन०आर०सी०/2021/.....

स्वा०,पटना, दिनांक

विवेकानन्द डेवलपमेंट फाउण्डेशन, गीरापुर, ढोली, मुजफ्फरपुर-043121 द्वारा संगठित एस०के०ग्लोबल स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसा, एन०एच०-28, हरिश्चंकर, गनिगारी, सिलौत, मुजफ्फरपुर-043119 के अन्तर्गत ए०एन०एम एवं वी०एस०सी० (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के संगठन हेतु शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से आगे तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तार के लिए विभागीय आदेश ज्ञापक- 2170/वी०एन०आर०सी०, दिनांक 00.00.2024 के द्वारा डॉ० ऋषिकांत पाण्डेय, अपर निदेशक(मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संबंधित संस्थान में उपलब्ध भौतिक संरचनाओं, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जॉचोपरांत अनुशंसा के आलोक में पूर्व के निर्धारित सीटों पर शैक्षणिक सत्र-2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 ए०एन०एम एवं वी०एस०सी० (नर्सिंग) के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता का अवधि विस्तार किया जाता है।

2-सरकार को यह अधिकार होगा कि संस्थान का निरीक्षण तीन वर्ष के पूर्व भी कराया जा सकेगा।

3-संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली से Suitability हेतु आवेदन एक पक्ष के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे।

4- प्रस्ताव में राक्षस प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

उ/०-

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापकसं०सं०-673/वी०एन०आर०सी०/2021/2648.

पटना, दिनांक 12-07-24.

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, एस०के०ग्लोबल स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसा, एन०एच०-28, हरिश्चंकर, गनिगारी, सिलौत, मुजफ्फरपुर-043119 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नियंत्रक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गीरापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, स्वा०विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Attended

Rajeev Ranjan

Secretary

S.K. Global School of Health Science
Muzaffarpur

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

Rajeev Ranjan
Secretary
S.K. Global School of Health Science
Muzaffarpur

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

भीठापुर, पटना-800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30/10/2024

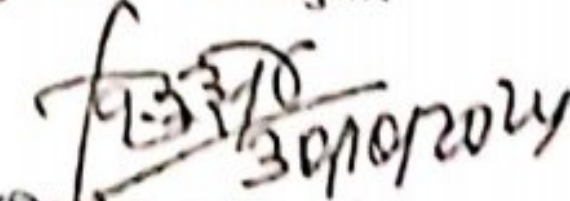
अ.सं.:संव0-6144/2024-1439/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक-20.09.2024 को गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा संबद्धता की अवधि विस्तार हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारपरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित रूची के कॉलम सं 2 में अंकित सत्र-2023-24 हेतु औपबधिक संबद्धता प्राप्त गैर-सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय को सत्र-2023-24 हेतु अस्थायी संबद्धता प्रदान करते हुए कॉलम सं 3 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 4 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र-2024-25 हेतु संबद्धता का अवधि विस्तार (Renewal/Extension of Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन किया जाता है।

Sl No	Name of the Nursing College	Course	Intake Capacity for 2024-25
1	2	3	4
1	S. K. Global School of Health Science NH-28, Harishankar, Maniyari, Muzaffarpur-843119	Basic B.Sc. Nursing	100

नियम एवं शर्तें:-

- अस्थायी संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
- अस्थायी संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
- सभी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना द्वारा मान्यता संबंधी पत्र में अध्यारोपति शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
- संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र-छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
- विश्वविद्यालय/भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली/स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जाँच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है। संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को सत्र-2024-25 हेतु प्रदान किया जा रहा संबद्धता का अवधि विस्तार निरीक्षण के फलफल से आच्छादित होगा।
- महाविद्यालय/संस्थान स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
- बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
- महाविद्यालय/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का भ्रष्ट/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

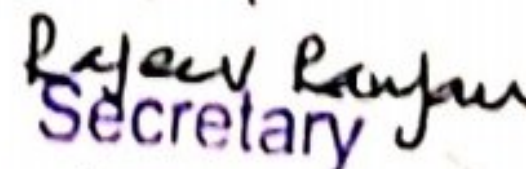
कुलपति के आदेशानुसार


(विमलेश कुमार झा)

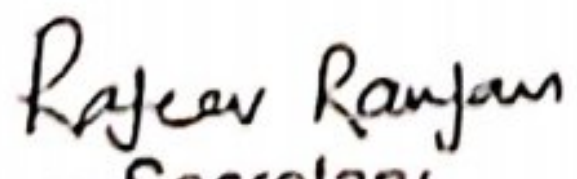
कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

Attendant


Secretary

S.K. Global School of Health Science
Muzaffarpur


Secretary
S.K. Global School of Health Science
Muzaffarpur